संचिका संख्या–4/MW-40–01/2024 श्र०सं०......

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **आउटसोर्सिंग पर कार्य लेने वाले एजेंसी/संवेदकों तथा कार्य देने वाले नियोजकों को श्रम कानूनों के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बध में कहना है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सभी विभागों को श्रम अधिनियमों के अनुपालन के लिए विभागीय पत्रांक–1020 पटना, दिनांक–21.02.2024 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया है। उक्त के क्रम में कहना है कि आऊटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत मावनबल को नियमनुसार बोनस एवं उपादान का भी भुगतान किया जाना है। इन प्रावधानों के अनुपालन में नियोजक/मुख्य नियोजक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बोनस एवं उपादान के संबंध में अधिनियम के प्रावधान निम्नवत है :–

(1) **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965** – अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित है, "Every employee shall be entitled to be paid by his employer in an accounting year, bonus. in accordance with the provision of this Act, provided he has worked in the establishment for not less than thirty working days in that year." साथ ही अधिनियम की धारा–10 में स्पष्ट किया गया है कि –"Subject to the other provision of this Act, every employer shall be bound to pay to every employee in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1979 and in respect of every subsequent accounting year, a minimum bonus which shal be 8.33 percent of the salary or wage earned by the employee during the

WWW.JOBSWALEBHAIYA.COM

accounting year or one hundred rupees, whichever is higher, whether or not the employer has any allocable surplus in the accounting year." अतः ऐसे कामगार जिन्होने लेखा वर्ष में न्यूनतम 30 दिन कार्य किया है, उनको न्यूनतम 8.33% बोनस का भुगतान किया जाना है।

(2) **उपादान भुगतान अधिनियम, 1972** – अधिनियम की धारा 4(1) में उल्लेखित है कि– Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five year, -(a) on his superannuation, or (b) on his retirement or resignation, or (c) on his death or disablement due to accident or disease: उपादान की गणना अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का नियमानुसार समुचित अनुपालन करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ० बी० राजेन्दर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–**4/MW-40–01/2024** श्र0सं0......3254 पटना, दिनांक–19/6/24

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण)/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति/सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन/सभी उप श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी वाष्पित्र निरीक्षक/बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना (बेल्ट्रॉन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.6.2024

प्रधान सचिव।

WWW.JOBSWALEBHAIYA.COM